

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक :- प. 16(1)साप्र/2/2022

जयपुर, दिनांक : 07.07.2025

—: आदेश :—

निम्नांकित अधिकारियों/कर्मचारियों को उनकी चतुर्थ श्रेणी की वरीयतानुसार उनके नाम के सम्मुख अंकित राजकीय आवास उनके निवास हेतु नियमानुसार किराये पर राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के प्रावधानानुसार निम्नानुसार शर्तों के आधार पर एतद्वारा आवंटन किया जाता है:-

क्र.स.	वरीयता संख्या	नाम व पदनाम	सेवानिवृत्ति दिनांक	आवंटित आवास संख्या
1.	270/2014	श्री नागेश कुमार गुप्ता, नर्सिंग ऑफिसर अधीक्षक, पंडित दीनदयाल चिकित्सालय, गणगौरी बाजार, जयपुर	31.03.2040	एफ-927 (नया नं. 4/146, गांधीनगर)
2.	271/2014	श्री लेखराज शर्मा, सहायक लोक अभियोजक-I अभियोजन निदेशालय, राजस्थान जयपुर।	30.04.2040	एफ-966(नया नं. 4/153, गांधीनगर)
3.	272/2014	श्री लालाराम डोगीवाल अध्यापक निदेशालय, संस्कृत शिक्षा राज. जयपुर	31.08.2041	एफ-981 (नया नं. 4/168, गांधीनगर)
4.	18/2021	श्री राम सहाय मीना सहायक अनुभागाधिकारी कार्मिक (ग-2) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।	31.12.2046	एफ-982(नया नं. 4/169, गांधीनगर)
5.	273/2014	श्री संजीव सोलंकी सहायक निदेशक कार्यालय राजस्थान रोजगार संदेश, जयपुर	31.10.2033	4/19, गांधीनगर
6.	274/2014	श्री गजराज सिंह नाथावत वरिष्ठ सहायक भू-जल विभाग, जयपुर	30.09.2042	4/31, गांधीनगर
7.	276/2014	श्रीमती पूनम खण्डेलवाल, सहायक निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क निदेशालय, राजस्थान जयपुर	28.02.2050	4/36, गांधीनगर
8.	42/2021	श्री यश शर्मा सहायक अनुभागाधिकारी कार्मिक (ग-2) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।	31.10.2044	4/51, गांधीनगर
9.	277/2014	श्री अजय भारती	31.10.2049	4/56, गांधीनगर



		संगणक संयुक्त निदेशक (योजना) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ राज. जयपुर		
10.	278 / 2014	सुश्री नेहा गुप्ता, नर्स ग्रेड-1A सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर	31.03.2045	4 / 60, गांधीनगर
11.	279 / 2014	श्री रामराज गुर्जर, फार्मासिस्ट प्रधानाचार्य, एस.एम.एस. मेडिकल कॉलेज, जयपुर	31.08.2044	4 / 78, गांधीनगर
12.	60 / 2021	श्री मनोज कुमार सहायक अनुभागाधिकारी मुख्यमंत्री कार्यालय, शासन सचिवालय, जयपुर।	30.06.2052	4 / 81, गांधीनगर
13.	280 / 2014	श्री अभिमन्यु सिंह, कर सहायक, अतिरिक्त आयुक्त प्रशासन मुख्यालय वाणिज्यिक कर विभाग राजस्थान जयपुर	31.10.2043	4 / 82, गांधीनगर
14.	281 / 2014	श्रीमती चांद कंवर, नर्स ग्रेड-2 सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर	30.06.2047	4 / 86, गांधीनगर
15.	282 / 2014	श्रीमती मधुबाला मीणा, फार्मासिस्ट प्रधानाचार्य, राज. दन्त विज्ञान महाविद्या लय जयपुर	31.12.2048	4 / 95, गांधीनगर
16.	11 / 2021 (राजकाज ऑनलाईन वरियता)	श्री आवड दान चारण सहायक अनुभागाधिकारी गृह विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर	31.10.2048	4-सी-6, बहुमंजिला गांधीनगर (रिक्त होने की प्रत्याशा में)
17.	283 / 2014	श्री सुरेन्द्र गुप्ता, कनिष्ठ लिपिक लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर	30.06.2039	4 / 96, गांधीनगर
18.	284 / 2014	श्री जितेन्द्र शाह, वरिष्ठ लिपिक लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर	30.04.2040	4 / 97, गांधीनगर
19.	287 / 2014	श्री पूरन मल गुप्ता सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1 पंचायती राज विभाग, जयपुर	31.07.2027	4 / 106, गांधीनगर
20.	23 / 2021 (राजकाज ऑनलाईन वरियता)	श्री आशीष बंसल सहायक अनुभागाधिकारी पशुपालन विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर	31.07.2054	4 / 107, गांधीनगर
21.	288 / 2014	श्री विनोद शर्मा, कनिष्ठ लिपिक	31.12.2031	4 / 109, गांधीनगर

		अधीक्षक राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर		
22.	290 / 2014	श्री अशोक शर्मा, सहायक प्रोग्रामर सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, जयपुर	28.02.2039	4 / 125, गांधीनगर
23.	291 / 2014	श्री हरि नारायण लैब टेक्नीशियन कार्यालयाध्यक्ष, सवाई मानसिंह चिकित्सालय जयपुर	31.08.2026	4 / 126, गांधीनगर
24.	26 / 2021 (राजकाज ऑनलाईन वरियता)	सुश्री मनीषा रैगर सहायक अनुभागाधिकारी पर्यावरण विभाग, शासन सचिवालय	31.12.2055	4 / 133, गांधीनगर
25.	293 / 2014	श्री महेश कुमार सैनी, लैब टेक्नीशियन सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर	31.01.2047	4 / 134, गांधीनगर
26.	295 / 2014	श्री शिवदान बुनकर वरिष्ठ लिपिक मुख्य अभियंता (प्रशा) मुख्यालय, वाणिज्यिक कर विभाग राजस्थान जयपुर	31.07.2041	4 / 135, गांधीनगर
27.	296 / 2014	श्री उमराव सिंह सहायक प्रोग्रामर मुख्य अभियंता (प्रशासन), जन स्वा0 अभियांत्रिकी विभाग (मुख्यालय), जयपुर	31.12.2040	4 / 137, गांधीनगर
28.	29 / 2021 (राजकाज ऑनलाईन वरियता)	श्री अनूप शर्मा सहायक अनुभागाधिकारी नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर	30.09.2044	4-बी-4, बहुमंजिला गांधीनगर (रिक्त होने की प्रत्याशा में)
29.	297 / 2014	श्री अनिल कुमार तिवाडी सूचना सहायक निदेशालय, पशुपालन विभाग, राज. जयपुर	31.01.2048	4 / 138, गांधीनगर
30.	298 / 2014	श्री स्वयंदीप सक्सैना बंधक-II-ग्रेड राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर	29.02.2054	4 / 139, गांधीनगर
31.	299 / 2014	श्री विनय कुमार मिश्रा सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी अतिरिक्त आयुक्त (प्रशा.) मुख्यालय वाणिज्यिक कर विभाग राजस्थान जयपुर	31.10.2041	4 / 140, गांधीनगर

शर्तें :-

1. आवास का कब्जा आवंटन/रिक्त की तिथि से 8 कार्य दिवस में लिया जायेगा। इस अवधि में कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश स्वतः निरस्त समझा जावेगा।
2. उक्त आवास का किराया राजस्थान सिविल सेवा निवास स्थान के किराये का अवधारण और वसूली नियम, 1958 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार वसूल होगा।
3. सेवानिवृत्ति पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
4. जयपुर से बाहर स्थानान्तरण हो जाने पर इस विभाग को सूचित करना होगा तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
5. स्वयं तथा पत्नी/बच्चों के नाम से पदस्थापन स्थान पर निजी आवास बन जाने /क्रय करने की स्थिति में इस विभाग को सूचित करना होगा।
6. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी—चूँकि उक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को राजकीय आवास का आवंटन किया जा चुका है। अतः राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 11(III)ए के अनुसरण में आदेश प्रसारित होने के आवास रिक्त की तिथि से 8 दिवस में अथवा आवंटन स्वीकार करने के असफल रहने की तारीख से 6 माह की कालावधि तक अगले आवंटन तक के लिए पात्र नहीं रहेगा। 6 माह की समाप्ति पश्चात उसे प्रतीक्षा सूची में अपनी मूल स्थिति में पुनः लाया जा सकेगा। उसका मकान किराया भत्ता यदि उस क्षेत्र में अनुज्ञेय हो तो रोक दिया जायेगा।
7. आवंटी को आवंटित राजकीय आवास का कब्जा देने से पूर्व संबंधित अधिशाषी अभियन्ता को यह घोषणा करनी होगी:-
 1. आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी निरन्तर जयपुर में ही पदस्थापित रहे है।
 2. आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी के द्वारा कोई स्वयं/पति/पत्नि व उन पर आश्रित किसी अन्य सदस्य के नाम ये जयपुर में निजी आवास निर्मित/क्रय नहीं किया है।
8. कॉमन सुविधा राशि रुपये 150/- (अक्षरे राशि रुपये एक सौ पचास मात्र) सीधे ही इनके वेतन से काटे जाकर राजकोष में जमा होंगे।
9. उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अन्य शर्तें भी मान्य होगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(मन मोहन गौड़)

वरिष्ठ उप शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर/सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग जयपुर/पंचायतीराज विभाग, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटी के कब्जा लेने की तिथि से इनके वेतन से नियमानुसार किराया वसूली को सुनिश्चित करावें।
2. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटी के कब्जा लेने की तिथि से इनके वेतन से नियमानुसार किराया वसूली को सुनिश्चित करावें।
3. जिला कलक्टर, जयपुर ।
4. मुख्य अभियंता (प्रशासन), जन स्वा. अभियांत्रिकी विभाग (मुख्यालय), जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटी के कब्जा लेने की तिथि से इनके वेतन से नियमानुसार किराया वसूली को सुनिश्चित करावें।
5. अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटी के कब्जा लेने की तिथि से इनके वेतन से नियमानुसार किराया वसूली को सुनिश्चित करावें।

6. अधीक्षण अभियंता, भू-जल विभाग, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटी के कब्जा लेने की तिथि से इनके वेतन से नियमानुसार किराया वसूली को सुनिश्चित करावें।
7. निदेशक, अभियोजन निदेशालय राजस्थान जयपुर/संस्कृत शिक्षा, राज0 जयपुर/राजस्थान रोजगार संदेश, जयपुर/सूचना एवं जनसंपर्क, जयपुर/पशुपालन विभाग, जयपुर/चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटी के कब्जा लेने की तिथि से इनके वेतन से नियमानुसार किराया वसूली को सुनिश्चित करावें।
8. उप शासन सचिव, कार्मिक (ख-1) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटी के कब्जा लेने की तिथि से इनके वेतन से नियमानुसार किराया वसूली को सुनिश्चित करावें।
9. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, सवाई मानसिंह चिकित्सालय/महाविद्यालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटी के कब्जा लेने की तिथि से इनके वेतन से नियमानुसार किराया वसूली को सुनिश्चित करावें।
10. अधीक्षक, पंडित दीनदयाल चिकित्सालय, गणगौरी बाजार, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटी के कब्जा लेने की तिथि से इनके वेतन से नियमानुसार किराया वसूली को सुनिश्चित करावें।
11. प्रधानाचार्य, राज0 दन्त विज्ञान महाविद्यालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटी के कब्जा लेने की तिथि से इनके वेतन से नियमानुसार किराया वसूली को सुनिश्चित करावें।
12. वित्तीय सलाहकार, कार्मिक (ग) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटी के कब्जा लेने की तिथि से इनके वेतन से नियमानुसार किराया वसूली को सुनिश्चित करावें।
13. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, शासन सचिवालय/जयपुर शहर, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटी के कब्जा लेने की तिथि से इनके वेतन से नियमानुसार किराया वसूली को सुनिश्चित करावें।
14. प्रोग्रामर, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर- कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेब साईट पर अपडेट करने का श्रम करावें।
15. सामान्य प्रशासन (ग्रुप-5) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
16. अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, नगर खण्ड-तृतीय (मुख्यालय), जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि इस आवण्टन पत्र के पीछे दिये गये प्रपत्र की आवश्यक पूर्ति करने के पश्चात् ही आवण्टन की कार्यवाही सुनिश्चित करावें।
17. अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, गांधीनगर जयपुर।
18. अधिशाषी अभियन्ता, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, रामबाग सर्किल, जयपुर।
19. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग चौकी, गाँधीनगर, जयपुर-कृपया उक्त आदेश को कार्यालय ब्लेकबोर्ड पर चस्पा करावें साथ ही आवंटी के द्वारा कब्जा लेने/रिक्त दिनांक की सूचना निदेशक सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय जयपुर को भी भिजवाये।
20. संबंधित अधिकारी/कर्मचारी को प्रेषित कर लेख है कि कब्जा लेने से पूर्व इस आवण्टन पत्र के पीछे दिये गये प्रपत्र की अपने स्तर पर आवश्यक पूर्ति कर अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, नगर खण्ड-तृतीय (मुख्यालय), जयपुर को सम्मिलवाने के पश्चात् ही कब्जा प्राप्त करेंगे एवं पूर्व आवंटित आवास 7 दिवस में रिक्त कर इस विभाग को सूचित करेंगे।
21. निजी सचिव, शासन सचिव, साप्रवि।
22. रक्षित पत्रावली।

वरिष्ठ उप शासन सचिव